कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, इटावा।

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के पत्र दिनांक 26.04.2021 के अनुसार श्री राहुल आनंद, अपर जनपद न्यायाधीश, इटावा, श्री शिवकिशोर शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, परिवार न्यायालय, इटावा एवं कुछ अन्य कर्मचारीगण कोविड–19 पॉजिटिव पाये गये है। मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के द्वारा सेनेटाजेशन हेतु जजशिप इटावा को बन्द किये जाने की आवश्यकता व्यक्त की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या –1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांक 05-04-2021 में दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुपालन में सेनेटाइजेशन के उद्देश्य से दिनांक 27.04.2021 व 28.04.2021 को जजशिप, इटावा के सभी न्यायालय/कार्यालय को बन्द किये जाने का आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 26.04.2021 के द्वारा किया गया है।

चूँकि परिवार न्यायालय, इटावा भी जनपद न्यायालय, इटावा के परिसर में ही स्थित है। अतः प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, इटावा एवं अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, इटावा के न्यायालय/कार्यालयों को दिनांक 27.04.2021 व 28.04.2021 को सेनेटाइजेशन के उद्देश्य से बन्द किया जाता है।

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वह गाइड लाईन के अनुसार दिनांक 27.04.2021 व 28.04.2021 को सेनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें।

यह सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना हेतु ई–मेल की जाये।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांकः 26.04.2021

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
इटावा।